

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 3022 दिनांक 31.12.2014 द्वारा निर्गत आदेश में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

1. आदेश संख्या 3022 दिनांक 31.12.2014 के क्रमांक 10 में उल्लेखित नाम श्री रजेश कुमार के स्थान पर श्री राजेश कुमार पढ़ा जाय।
 2. यथा उल्लेखित आदेश के क्रमांक 14 पर उल्लेखित नाम डा. शिवनाथ राजपूत के स्थान पर डा. शिवनाथ प्रजापत पढ़ा जाय।
 3. यथा उल्लेखित आदेश के क्रमांक 20 में उल्लेखित पदस्थापन संस्थान का नाम राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर के स्थान पर नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 पढ़ा जाय, साथ ही इसकी प्रतिनियुक्ति राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर में पूर्व की भाँति बनी रहेगी।
 4. यथा उल्लेखित आदेश के क्रमांक 25 के डा. नित्यानन्द साह, का पदस्थापन स्थल आदेश के अनुरूप राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार ही रहेगा। इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त समझा जाय।
 5. यथा उल्लेखित आदेश के क्रमांक 66 में उल्लेखित पदस्थापन संस्थान का नाम राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर के स्थान पर राजकीय पोलिटेकनिक, गया पढ़ा जाय, साथ ही इनकी प्रतिनियुक्ति राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर पूर्व की भाँति बनी रहेगी।
2. शेष शर्तें यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन


निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (1) न¹- 02/12 (पार्ट)/ 174 / पटना, दिनांक- 21-1-2015
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/बेगूसराय/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/कटिहार/सहरसा/पूर्णिया/गोपालगंज/गुलजार बाग/भागलपुर/गया/सचिवालय कोषागार निर्माण भवन, बेली रोड, पटना एवं उप कोषागार, पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-।। (बजट)/संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/विभागीय आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।